सभी ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिये कोटा

स्रोत: द हिंदू

रेल मंत्रालय ने सभी ट्रेनों में **दिव्यांगजनों** (PwD) के लिये कोटा को मंज़ूरी दे दी है, भले ही रियायती किराये की सुविधा उपलब्ध हो या नहीं।

- **सभी आरक्षित एक्सप्रेस/मेल ट्रेनों में PwD कोटा निर्धारित** किया जाएगा।
- प्रावधान के दुरुपयोग से बचने के लिये, भारतीय रेलवे द्वारा पात्र लोगों को सत्यापित **भारतीय रेलवे विशिष्ट पहचान पत्र** जारी किये जाएंगे और इस कोटा के अंतर्गत टिकट केवल इस कार्ड का उपयोग करके ही बुक किये जाएंगे।
  - **रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (Centre for Railway Information System- CRIS)** को सभी ट्रेनों में विशिष्ट पहचान पत्र सत्यापित करने के लिये अपने आरक्षण सॉफ्टवेयर को अपडेट करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें रियायती किराये वाली ट्रेनें भी शामिल थीं।
    - CRIS, रेल मंत्रालय के अंतर्गत **एक स्वायत्त संगठन** है, जिसे भारतीय रेलवे के लिये आवश्यक **IT अनुप्रयोगों** को विकसित करने के साथ-साथ उनकी **देखरेख करने का कार्य** सौंपा गया है।
- दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिये भी भारत में की गई पहलों में शामिल हैं:
  - **दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016,**
  - विशिष्ट निःशक्तता पहचान पोर्टल
  - सुगम्य भारत अभियान
  - दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना
  - दिव्यांगजनों के लिये सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग में सहायता की योजना
  - दिव्यांग छात्रों के लिये राष्ट्रीय फैलोशिप
  - **दिव्य कला मेला 2023**

और पढ़ें... वंदे भारत ट्रेन, दिव्यांगजन (PwD)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/quotas-for-pwds-in-all-trains